न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 454/23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/482)

दिलराज पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासीं झौंपडा तहसील चौथ का बरबाडा जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर मु0नं0 55/20 दिलराज बनाम सरकार निर्णय दिनांक 23.02.2021 (75 एल आर एक्ट) व नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा निर्णय़ दिनांक 06.08.2020 वसिलसिले प्रकरण संखा 80/20 सरकार बनाम दिलराज (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री हरीमोहन जाट वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 22.08.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.08.2020 व जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा ने आदेश दिनांक 06.08.2020 से अपीलान्ट को सम्वत 2077 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 827/2789 के रकबा 0.15 किस्म चाही–3 सिवायचक वाकै ग्राम झौंपडा, तहसील चौथ का बरवाडा पर अवैध मकान बना कर एवं मूंगफली की फसल काश्त करने अतिक्रमी मानते हुये अपीलान्ट के खिलांफ 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही कर अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया साथ ही पाश्चातवर्ती अतिक्रमणी होने के कारण अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से भी दण्डित किया गया। नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा के आदेश दिनांक 06.08.2020 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश की गई। जिसमें जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2021 पारित कर अपील अपीलान्ट सशर्त स्वीकार करते हुये आदेश दिये गये कि ....'' अपील अपीलान्ट सजा की सीमा तक इस शर्त पर स्वीकार की जाती है कि वर्तमान में अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं हो तो आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक निरस्त समझा जावे एवं यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा यथावत पाया जावे तो आदेश जैर अपील से दी गई सजा यथावत रहेगी। शेष बेदखली व वसूली बाबत पारित आदेश यथाावत

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रहेगा।....." जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पारित उपरोक्त निर्णय दिनांक 23.02.2021 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैसपो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया लिहाजा वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की ओर से पारित आदेश दिनांक 06.08.2020 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2021 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा ने अपीलान्ट को विवादित खसरा नंबर 827/2789 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म सिवायचक वाकै ग्राम झौंपडा की भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये बेदखल किये जाने तथा शास्ती आरोपित करने के साथ–साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने में कानूनी भूल की गई है। जबकि अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न तो रिपोर्ट वर्ष में ही किया गया था और न ही पूर्व में कभी कोई अतिक्रमण ही रहा। पटवारी हल्का की मिथ्या एवं मनगढंत रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुये बेदखली व पश्चातवर्ती अतिचार के आधार पर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को नहीं देखा गया कि अपीलान्ट को जारी नोटिस की अपीलान्ट को प्रोपर तामील ही हुई और न ही अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर ही दिया गया। इसके अलावा विवादित भूमि मौके पर खाली होने के बाबजूद भी अपीलान्ट को पाश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुये बेदखली व सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है। जबकि अदालत मातहत की पत्रावली में न तो अपीलान्ट की ओर से पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न है और न ही पूर्व में कभी भौतिक रूप से बेदखल किये जाने की रिपोर्ट ही संलग्न है। इसके बाबजूद नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचार मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल की ओर से कई नजीरों में इस तरह का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब तक अतिक्रमी का पूर्व के वर्ष में अतिक्रमण नहीं हो एवं भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया, तब तक सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता है। नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व स्वतंत्र गवाहान के बयान भी नहीं लिये गये तथा पटवारी हल्का की ओर से दिये गये बयानों के दौरान जिरह का अवसर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

भी नहीं दिया गया। पूर्व मुद्रित प्रारूप में खाली स्थानों की पूर्ति कर निर्णय दिनांक 06.08.2020 को पारित किया है, जो कि निर्णय की श्रेणी में नहीं आने के कारण निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने भी इस तथ्य की जॉच किये बिना कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा या अतिक्रमण नहीं है। केवल अपीलान्ट की अपील को सजा की सीमा तक इस शर्त पर स्वीकार किया है कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं हो तो जैर अपील सजा की सीमा तक निरस्त समझी जावे एवं अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा यथावत पाया जावे तो आदेश जैर अपील से दी गई सजा यथावत रहेगी। जबकि अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर न्यायालय में इस आशय का शपथ पत्र पेश किया था कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का वर्तमान में कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा अपीलान्ट भविष्य में भी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। इस शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया था कि अपीलान्ट के पिता जी रामनिवास की खातेदारी में आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.76 है0, खसरा नंबर 602 रकबा 0.6 है0 व खसरा नंबर 603 रकबा 0.44 है0 है, जो कि विवादित भूमि से लगता हुआ है। अपीलान्ट अपने पिता की खातेदारी में स्थित भूमि में काश्त करता है। सिवायचक भूमि में कोई कब्जा काश्त नहीं है। इस संबंध में जॉच करवाई जा सकती है। इसके बाबजूद जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट को दी गई सजा को सशर्त माफ किया है, जो कि उचित नहीं है। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.2021 के बारे में अपीलान्ट को कोरोना महामारी फैलने के कारण तत्समय जानकारी नहीं हो सकी थी। दिनांक 09.08.2021 को जब पुलिस अपीलान्ट का गिरफ्तारी का वारंट लेकर गांव में पहुंची तब अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय की नकल दिनांक 12.08.2021 को प्राप्त कर अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुये स्वीकार की जावे तथा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.08.2020 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 23.02.2021 को निरस्त कर अपीलान्ट के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णयों संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2021 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 26.08.2021 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ संलग्न लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 09.08.2021 को पुलिस की ओर से गिरफ्तारी वारंट लेकर आने पर होने तथा अपीलाधीन निर्णय की नकल दिनांक 12.08.2021 को प्राप्त होने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा भी माननीय राजस्व मण्डल व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालयों को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा अपील को तकनीकी बिन्दु पर खारिज किये जाने से बचना चाहिए। इसलिये अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार किये जाने का आदेश दिया जाता है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा विवादित खसरा नंबर 827/2789 रकबा 2 है0 के 0.15 है0 रकबा में मकान, मूंगफली के रूप में अतिक्रमण किये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की रिपोर्ट तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को किये जाने पर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसमें दिनांक 06.08.2020 को उपस्थित होने की अपेक्षा की गई। उक्त नोटिस की तामील अपीलान्ट के पिता को होने के बाबजूद उपस्थित नहीं होने पर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा द्वारा पटवारी हल्का के बयान लेने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2020 को पारित किया गया। जिसमें विवादित भूमि से बेदखल किये जाने, लगान की 50 गुना शास्ती व पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश की अपील जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को किये जाने पर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.2021 को पारित किया है। जिसमें अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को सजा की सीमा तक इस शर्त पर स्वीकार किये जाने का आदेश दिया कि यदि वर्तमान में अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं हो तो आदेश जेर अपील सजा की सीमा तक निरस्त समझा जावे व यदि कब्जा यथावत पाया जावे तो जेर अपील से दी गई सजा यथावत रहेगी। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित उपरोक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उसका विवादित खसरा नंबर पर कोई कब्जाकाश्त नहीं है तथा भविष्य में भी कोई कब्जा नहीं करेगा। उक्त निर्णय की प्रति जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

22.8.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पारित उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को प्राप्त होने पर भू अभिलेख निरीक्षक भगवतगढ़ से पत्र दिनांक 22.06.2021 के द्वारा विवादित खसरा नंबर की मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलान्ट दिलराज द्वारा सम्वत् 2077 में विवादित खसरा नंबर 827/2789 किस्म सिवायचक पर फसल रबी में भी रजका/मकान बनाकर पुख्ता बाउण्ड्री की हुई है, जिसकी पटवारी हल्का द्वारा मौका देखा जाकर धारा 91 की रिपोर्ट प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार विवादित खसरा नंबर पर अतिक्रमण यथावत है। उक्त खसरा नंबर में फलदार पौधे और लगाये जा चुके हैं। उक्त खसरा नंबर झोपड़ा से भगवतगढ़ सड़क पर स्थित बेशकीमती भूमि है। अपीलान्ट अतिक्रमण करने का आदी है तथा सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है। रिपोर्ट की पुष्टि में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई पटवारी की प्रति भू संलग्न की गई है। यद्यपि वकील अपीलान्ट की ओर से विवादित भूमि पर पूर्व के वर्षो में व वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं होने का उल्लेख किया गया है, परन्तु ऐसा कोई रिकार्ड या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे कि इनके इस कथन की पुष्टि होती हो कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जाकाश्त नहीं हो। दूसरी ओर अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न उपरोक्त रिपोर्ट से यह भलीभांति स्पष्ट है कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर रिपोर्ट वर्ष में भी अतिक्रमण था तथा इसके बाद में भी अतिक्रमण किया गया है। अतः नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.08.2020 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2021 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आने के कारण उक्त निर्णयो में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.08.2020 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.09.2021 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर